Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

युनीगलो बनाम सुरेन्द्र शर्मा

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 09 वर्ष 2022

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 08.02.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पावन्द किया जाता है कि 433 / 159 / 0.42, 434 / 159 / 0.42 है0 वाके ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलवी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) 04/03/22 पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। वादी का वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूलवाद हो। (हस्ताक्षर)	वादी (हस्ताक्षर) Ad. (हस्ताक्षर) प्रतिवादी (हस्ताक्षर)